न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —48/2016 अपील (RCMS/2016/00042)
पंजीयन दिनांक —25.05.2016
निर्णय दिनांक —19.03.2019

1. राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) जरिये क्षेत्रिय प्रबन्धक एवं प्रभारी अधिकारी, रीको चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री दामोदर अग्रवाल, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती चन्दा पुत्री श्री लक्ष्मीलाल जैन, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री श्यामलाल पिता श्री भगवतीलाल रांका, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री शान्तिचन्द पिता श्री गेहरीलाल मेहता, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री अनिल कुमार पिता दामोदर अग्रवाल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री नरेडी स्पिल स्टेट जरिये पार्टनर, श्रीमती मधु पत्नि नरेन्द्र कुमार नरेड़ी, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्रीमती निधि पत्नि प्रियांक नरेड़ी, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
9. राज्य जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री एस.एस. मेहता व संजय सेन — वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 से 8

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, प्रकरण संख्या 396/2013 दिनांक 28.03.16

निर्णय

दिनांक 19.03.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, प्रकरण संख्या 396/2013 दिनांक 28.03.16 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 का पेश कर अवगत कराया कि मौजा कासोद तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी नम्बर 10/1/1/1/2 रकबा 3.25 एकड़ जिसके नये सेटलमेंट नम्बर 36 रकबा 1.3200 हैक्टेयर है, जो नक्शें में उनके खातेदारी व कब्जे काश्त चली आ रही है जो पुराने नक्शें में रोड़ के दोनों तरफ होकर वह रोड़ के दोनों तरफ काबिज चले आ रहे है। नये सेटलमेंट के नक्शे में आराजी नम्बर 36 को सड़क को दूर तरमीम कर दिया गया जबकि वहा उनका (रेस्पो–1 से 8) का कब्जा नहीं है, वह पुराने नक्शें के आधार पर काबिज है, परन्तु नवीन सेटलमेंट में नक्शें में आराजी नम्बर 36 गलत तरमीम कर दी। इन तथ्यों के मध्यनजर रेस्पोंडेंट संख्या–1 से 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरस्ती का अनुरोध किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर इन्द्राज दुरस्ती का निर्णय दिनांक 28.03.2016 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.03.19 सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में बताया कि सेटलमेंट ऑपरेशन बन्द होने के बाद किसी को भी धारा–136 एल आर एक्ट के तहत रिकार्ड में संशोधन का अधिकार नहीं है। इस संबंध में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक विनिश्चय स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित न्याय संगत अवसर नहीं दिया। अपीलार्थी के प्रस्तुत दस्तावेज तलबी के आदेश पर कोई आदेश पारित नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कथित तौर पर जो पर्चा मौका रिपोर्ट मंगाई, वह अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट है, जिस पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत न होकर तथ्यों के विपरित है। नक्शें में अधीनस्थ न्यायालय ने जिस स्थल की तरमीम के आदेश दिये वह स्थल रिको को आवंटित भू–भाग का स्थल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 ने अपील एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र पर मौके की रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का विश्लेषण कर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया नियमानुसार पारित किया गया। जितना रकबा खाते में है, उसी अनुसार रकबे का नक्शा होना आवश्यक है, जिससे नक्शें में सुधार कर सही नक्शा बनाने के आदेश दिये गए। साबिक सेटलमेंट के इन्द्राज को सेटलमेंट विभाग द्वारा रिपीट करना होता है, सेटलमेंट विभाग को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों का सुनकर सही आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जबकि मौके की रिपोर्ट नियमानुसार तैयार की हुई है। नक्शें में दुरस्ती के अधिकार लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त किए गए है। उक्त तथ्यों में मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 8 ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किए–RBJ (13) 2006 P.205, RRT 2012(2) P. 814, RRT 2013(1) P. 391, RRT 2015(2) P. 961

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट हैं कि पूर्व के नक्शे और हाल के नक्शें में अन्तर स्पष्ट प्रकट होता है। सेटलमेंट द्वारा इन्द्राज को बदल दिया गया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी की मौके रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है।

राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी व खातेदारी का जो भी अंकन भू–प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी

Web Copy - Not Official

सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने का आदेश ना हो, भू–प्रबन्ध विभाग को यह अधिकार नहीं होता है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि इन्द्राजात भू–प्रबन्ध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरस्ती धारा–136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं होगा। यह स्पष्ट है भू–प्रबन्ध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू–प्रबन्ध कार्यवाही पूर्ण हो जाने या रिकार्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं निणर्य से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में भू–प्रबन्ध कार्यवाही में बिना सक्षम आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इन्द्राज बदल दिया गया, जो समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता। पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा रेस्पोडेंटस का है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय धारा–136 के प्रावधानों के अन्तर्गत उभय पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण से सुसंगत प्रतीत होते है। इन्ही तथ्यों के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा–136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28.03.2016 को पारित किया गया। उक्त निर्णय सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 28.03.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर